FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

बनाम

किस्त मुकदमा कमलेश नं. 37 सन् 03/21

राजस्व अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
19/1/21	एडवोकेट ने यह प्रार्थनापत्र आर.ए.आर. अधिनियम के तहत पेश किया। पत्रावली में चलान राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया एडवोकेट को एकपक्षीय सुना। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में कयास आता है कि अपीलार्थी अन्तरिम आदेश के विरुद्ध अपील विचाराधीन आगामी तारीख पेशी दिनांक 16/4 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि अन्तरिम आदेश 0.48 दो वर्ष तक कोई छेड़छाड़ तहसील बयाना में मौके की यथास्थिति बनाए रखे। इस बीच कोई आपत्ति होने की स्थिति में तारीख पेशी को न्यायालय हाजिर उक्त की प्रकरण की सुनवाई की जाएगी। अपीलार्थी को नोटिस तामील कराकर पत्रावली दिनांक 19/04/2021 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नाम अहलमद हुक्म
23/01/24	[illegible] पीठासीन अधिकारी ..... पत्रावली पूर्वालगार दिनांक 27/5/24 को पेश हो रीडर सी./एस.डी.एम.	
27/5/24	बकुलाय उपरा अभियोजन [illegible] की तरफ से [illegible] प्रेषित की गयी। अतः प्रेषित करी जाय व तत्पश्चात प्रकरण दिनांक 27/8/24 को पेश हो।	
27/8/24	बकुलाय उपरा प्रकरण प्रतिकूल दिनांक 25/11/24 को पेश हो।	
25/11/24	प्रकरण पेश हुआ। एफ. आई. आर. मय प्रार्थना पत्र को पोषणीय होना [illegible] आवाज लगवायी गयी। कोई नहीं उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थिता मय प्रार्थी एफ. आई. आर. मय प्रार्थना पत्र की अग्रिम जमानत अग्रिम पेशगी के खारिज किए जाने की प्रकरण प्रेषण होकर [illegible] के [illegible] खारिज [illegible]	